प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1— समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2— निदेशक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, समस्त सरकारी चिकित्सालय,उ0प्र0।

पत्रांकःए0बी0—पी0एम0जे0ए0वाई/पत्रा-431-D-1/2019—20/515 लेखनऊ : दिनांक 16 मार्च, 2020

विषयः आयुष्मान भारत प्रधान जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों को सरकारी चिकित्सालयों में आकर्षित करने हेतु बेहतर सुविधायें उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आयुष्मान भारत प्रधान जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत उ0प्र0 में उपचारित लाभार्थियों की संख्या का मात्र 25 प्रतिशत सरकारी चिकित्सालयों में उपचार किया गया है। शेष 75 प्रतिशत लाभार्थियो द्वारा निजी चिकित्सालयों को प्राथमिकता दी गयी है। आप अवगत हैं कि इस योजना में लाथार्थियों के उपचार के उपरान्त प्राप्त क्लेम धनराशि का उपयोग सम्बन्धित चिकित्सालय द्वारा चिकित्सालय के इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास एवं रोगी सुविधाओं को बढ़ाने में भी किये जाने का प्राविधान है। अनेक सरकारी चिकित्सालय जिनमें आयुष्मान लाभार्थियों को चिन्हित करते हुए प्राथमिकता के आधार पर उपचार उपलब्ध कराया गया है, उन्हें अच्छी मात्रा में क्लेम धनराशि प्राप्त हुई है जिसका सदुपयोग पृथक आयुष्मान वार्ड बनाने तथा उनमें बेहतर सुविधायें उपलब्ध कराने में किया गया है।

इस सम्बन्ध में शासन स्तर से पूर्व में जारी आदेश सं0 223/पी0एस0एम0एच0/2019 दिनांक 19 दिसम्बर, 2019 द्वारा सरकारी चिकित्सालयों में पृथक आयुष्मान वार्ड बनाने, आयुष्मान लाभार्थियों के लिये पृथक काउन्टर बनाने, आयुष्मान लाभार्थियों को चिन्हित करने हेतु ओ0पी0डी0/इन्डोर पर्चे पर ''आयुष्मान लाभार्थी—हॉ/नहीं'' अंकित करने आदि के निर्देश दिये गये थे। इसी कम में आयुष्मान लाभार्थियों को सरकारी चिकित्सालयों में आकर्षित करने हेतु विशिष्ट सुविधायें उपलब्ध कराते हुए पृथक पंजीकरण काउन्टर के सामने स्टील रेलिंग लगाकर उक्त लाईन को अन्य लाईनों से पृथक किया जाये तथा इस लाईन में खड़े होने वाले आयुष्मान लाभार्थियों के लिये लाल दरी बिछाई जाये। लाभार्थियों के बैठने हेतु जुड़ी हुई स्टील की कुर्सियों पर ''आयुष्मान लाभार्थी'' लिखवाया जाए। आयुष्मान वार्ड में एल0ई0डी0 (टेलीविजन), ए0सी0/कूलर आदि की व्यवस्था भी की जा सकती है।

उक्त सभी सुविधायें लाभार्थियों के इलाज के उपरान्त प्राप्त क्लेम धनराशि से किये जा सकते हैं। अतः प्राथमिकता के आधार पर सरकारी चिकित्सालयों में आयुष्मान लाभार्थियों हेतु उपरिलिखित सुविधायें उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे इस महत्वपूर्ण योजना में सरकारी चिकित्सालयों की भागीदारी बढ़ाई जा सके।

भवदीय,

14.3.20

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव,

ओ.पी.डी. सेवायें
काउंटर 01
काउंटर 02
आयुष्मान भारत
काउंटर
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
आयुष्मान भारत
PM-JAY